कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–उनि/सशि/निशु/पापु/शाला दर्पण/2018–19/156 दिनांक-24/01/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

अति–आवश्यक
आज ही

विषय :–शैक्षिक सत्र 2020–21 मे शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मॉड्यूल में मांग फिड करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह ध्यान मे आया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 मे शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मॉड्यूल में मांग फिड करते समय विद्यालय मे संचालित समस्त कक्षाओं एवं अध्यापन कराए जाने वाले समस्त विषयों की मांग अपलोड किए बिना ही मॉड्यूल पर लॉक किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप कक्षा 06 से 08 में प्रत्येक कक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन की 03 पुस्तकें है। इसी प्रकार कक्षा 09 में अंग्रेजी 02, हिन्दी की 02 एवं सामाजिक विज्ञान की 04 एवं राजस्थान स्वतंत्रता आन्दोलन एवं शौर्य परम्परा की 01, कक्षा 10 में अंग्रेजी 02, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की 01 पुस्तक संचालित है। इसी प्रकार कक्षा 11 व 12 मे भी अधिकांश विषयों की 01 से अधिक पुस्तकें है।

अतः अधीनस्थ संस्था प्रधानों एवं नोडल विद्यालय प्रभारी को पाबन्द करें कि जिन विद्यालयों में कक्षा एवं विषयवार प्रचलित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का चयन नहीं किया गया है, उनके लिए राज्य स्तर से पुनः अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे संस्था प्रधान आज दिनांक 24.01.2020 सांय 06:00 बजे तक आवश्यक रूप से मांग दुरूस्त कर लॉक करें, अन्यथा उनकी मांग सही मानते हुए लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति मे यदि कोई विद्यार्थी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से वंचित रहता है तो उसकी समस्त जिम्मवारी जिला प्रभारी अधिकारी, ब्लॉक प्रभारी एवं संबंधित संस्था प्रधान की होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न- विद्यालय सूची (सॉफ्ट कॉपी)

उप निदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण पर अपलोड करने बाबत।
4. उपनिदेशक/कार्यक्रम प्रभारी, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक।
6. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर